पंजीकृत

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 की
अपील धारा-19 के अन्तर्गत आदेश

श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी, मार्फत होटल दिग्विजय, संयुक्त बस अड्डा, ऋषिकेश का अनुरोध पत्र, दिनांक 9.10.2014 जो इस कार्यालय को दिनांक 13-10-2014 को प्राप्त हुआ है के संबंध में दिनांक 28.10.2014 को अपील हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी । उक्त तिथि को अपील की सुनवाई उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,गढ़ीकैन्ट, देहरादून में की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1- श्री एस.एस.सामन्त, शोध अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,यू.टी.डी.बी.।
2- श्री के0सी0सुन्दरियाल,स0प0अ0/प्रभारी ट्रैवल ट्रैड अनुभाग, मुख्यालय ।
3- श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी,अपीलार्थी

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपीलार्थी एंव कार्यालय के पक्ष सुनने के उपरांत निम्न निर्णय लिये गयेः-

1- अपालार्थी के मूल अनुरोध पत्र के बिन्दु सं0-2 के अन्तर्गत वैध राफ्टिंग व्यवसायियों को वर्तमान में जारी किये गये राफ्टिंग संचालन के अनुमति पत्र की छायाप्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये ।

2- अनुरोध पत्र के बिन्दु सं0-3 के अन्तर्गत वर्तमान में नदियों के अनुसार राफ्टिंग व्यवसायियों की सूची उपलब्ध करायी जाये । राफ्ट में इंगित नम्बर की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपीलार्थी के पत्र को लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय वन संरक्षक,भागीरथी वृत्त, ऋषिकेश के अंतरित किया जाये ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयानुसार सहायक पर्यटक अधिकारी/प्रभारी ट्रैवल ट्रैड द्वारा वांछित सूचना दो प्रतियों में लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करानी होगी । जिसे लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से निः शुल्क अपीलार्थी को प्रेषित की जायेगी ।

उक्त आदेशों के साथ अपील का निस्तारण किया गया ।

(वी0एस0 चौहान)
प्रथम अपीलीय अधिकारी/
उप निदेशक ।

उतराखंड पर्यटन विकास परिषद
सूचना का अधिकार
पं. दीनदयाल उपाध्य पर्यटन भवन, गढ़ीकैंट, देहरादून ।
दूरभाषः 0135-2559898, फैक्स- 0135-2559988, E-mail: publicityutdb@gmail.com
Website: uttarakhandtourism.gov.in

सं0- 1910 /2-10-152/2014-15 दिनांक देहरादून 30 अक्टूबर,2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी, मार्फत होटल दिग्विजय, संयुक्त बस अड्डा, ऋषिकेश ।
2- श्री एस.एस.सामन्त, शोध अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,यू.टी.डी.बी.।
3- श्री के0सी0सुन्दरियाल,स0प0अ0/प्रभारी ट्रैवल ट्रैड अनुभाग, मुख्यालय ।
4- विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने हेतु ।
5- आदेश पत्रावली ।

(वी0एस0 चौहान)
प्रथम अपीलीय अधिकारी ।